उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग-1
संख्या-02/2017/3005/55-पर्या-2016-108(पर्या)/2016
लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28-03-2016 को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के सम्बन्ध में प्रख्यापित अधिसूचना के नियम-11(1)(4) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन - अध्यक्ष
2- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 - सदस्य
3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 - सदस्य
4- निदेशक, पशुधन विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
5- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ - सदस्य
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ - सदस्य
7-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य/संयोजक
8- आई0एम0ए0 के प्रतिनिधि - सदस्य
9- सामूहिक जैव चिकित्सा व्यवस्था के निस्तारण के प्रतिनिधि - सदस्य
10- गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि - सदस्य
(बायो मेडिकल वेस्ट के क्षेत्र में कार्यरत)

2- उपरोक्तानुसार गठित समिति में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी अन्य सदस्यों को भी नामित कर सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त गठित समिति द्वारा चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा। समिति द्वारा न्यूनतम 06 माह में बैठक की जायेगी तथा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समिति के समक्ष आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।

4- उक्त समिति का गठन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से किया जा रहा है।

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3005(1)/55-पर्या-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण/पशुधन/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।